

रेल मंत्रालय, भारत सरकार के लिए अधिग्रहित/अर्जित रैयती एवं हस्तांतरित सरकारी भूमि का दाखिल-खारिज एवं जमाबंदी सृजन विषय पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर पर दिनांक-19.05.2025 को 11.00 पूर्वाह्न में आयोजित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति-यथा संलग्न।

अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में दिनांक-28.04.2025 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार दिनांक-19.05.2025 के पूर्वाह्न 11.00 बजे विभाग में आहूत बैठक में रेल मंत्रालय, भारत सरकार के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में पूर्व में अर्जित/अधिग्रहित/हस्तांतरित रैयती एवं सरकारी भूमि का दाखिल-खारिज एवं जमाबंदी सृजन के विषय पर रेल मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय प्रतिनिधि श्री भारत भूषण, सहायक मंडल इंजीनियर (भूमि), समस्तीपुर/श्री विनीत रंजन (JE/P.way) DRM/Engg./Planning/SPJ/ श्री विकास कुमार, अवर लिपिक/W-4/DRM/Engg./ श्री विकास रंजन, ADEN/HQ/DNR एवं श्री शिव कुमार, ADEN/HQ/DNR उपस्थित हुए। बैठक में रेल मंत्रालय, भारत सरकार हेतु अर्जित/अधिग्रहित/ हस्तांतरित/ रैयती एवं सरकारी भूमि का दाखिल-खारिज एवं जमाबंदी सृजन विषय पर वांछित-कार्रवाई-शीघ्र-सुनिश्चित किये जाने हेतु विस्तृत विचार-विमर्श हुआ।

2. बैठक में विभागीय Govt. Land Mutation Portal के माध्यम से ऑनलाईन दाखिल-खारिज वास्ते आवेदन upload करने के लिए रेल मंत्रालय, भारत सरकार के रेल परियोजनाओं के लिए पूर्व में अधिग्रहित भूमि/भू-खंड (चौहद्दी सहित) की सूचना प्राप्त किये जाने हेतु संबंधित जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों से अधिग्रहित भूमि/भूखंड, जिनका दाखिल-खारिज अबतक लंबित है, से संबंधित अधिघोषणा की प्रति विभाग को उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किये जाने का निर्णय लिया गया। (अनुपालन प्रशाखा-14)

3. बैठक में उपस्थित रेल मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि को बताया गया कि दाखिल-खारिज Govt. Land Mutation Portal के माध्यम से ऑनलाईन किया जाना है, जिसमें सर्वप्रथम रेलवे के लिए अर्जित/अधिग्रहित अथवा हस्तांतरित भूमि/भू-खंड/भू-खंड, जो निर्विवाद है एवं रेलवे के दखल-कब्जा में है, के दाखिल-खारिज पर विचार किया जाना उचित होगा। शेष भूमि जिसपर किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज हो अथवा कोई अन्य कठिनाई हो उसपर विभाग स्तर से नीतिगत निर्णय लिया जायेगा।

बैठक में उपस्थित रेल मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि द्वारा रेलवे के लिए अर्जन/हस्तांतरण से संबंधित किसी प्रकार का कोई कागजात/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। सिर्फ मंडल रेल कार्यालय, दानापुर रेल मंडल द्वारा 15.785 एकड़ भूमि जो वर्ष 1955-56 में अधिग्रहित किया गया था, जिसमें कुल-78 प्लॉट सन्निहित है, जिससे संबंधित कुछेक कागजात उपलब्ध कराये गये तथा भूमि अधिग्रहण वाद सं0-26/1955-56 की प्रति उपलब्ध कराई गई।

4. बैठक में रेलवे के प्रतिनिधियों से प्राप्त कागजातों की प्रति प्रशाखा-06 (सरकारी भूमि हस्तांतरण) तथा प्रशाखा-14 (भू-अर्जन निदेशालय) को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया एवं निदेश दिया गया कि अपने-अपने प्रशाखा में रेलवे से संबंधित हस्तांतरित एवं बन्दोबस्त अथवा अर्जित/अधिग्रहित भूमि/भूखंड का विभाग स्तर से निर्गत अधिसूचना की प्रति प्राप्त कर Govt. Land Mutation Portal पर दाखिल-खारिज की कार्रवाई हेतु प्रशाखा-09 को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। (अनुपालन प्रशाखा-06 एवं 14)।

5. बैठक में रेलवे के प्रतिनिधियों को भी दाखिल-खारिज हेतु आवश्यक/वांछित कागजात/अभिलेख संबंधित अपर समाहर्ता/अंचल अधिकारी/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर प्राप्त करने तथा इसकी प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। (अनुपालन-रेलवे के संबंधित पदाधिकारी)।

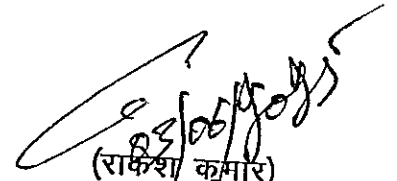
6. साथ ही, बैठक में मंडल स्तर पर रेलवे के तरफ से लाइजनिंग हेतु एक नोडल पदाधिकारी नामित करने की कार्रवाई का भी अनुरोध किया गया ताकि विभाग स्तर/क्षेत्रीय कार्यालयों एवं संबंधित रेल मंत्रालय के कार्यालय के बीच समन्वय स्थापित कर दाखिल-खारिज से संबंधित प्रक्रिया को कार्यशील बनाया जा सके।

7. चूंकि राज्य में रेलवे का कार्य क्षेत्र विस्तृत है तथा इससे संबंधित लगभग 8 रेल मंडल कार्यालय बिहार राज्य अन्तर्गत है, जिनके अधीन विभिन्न रेल परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण/हस्तानांतरण की कार्रवाई वृहत स्तर पर विगत लगभग 20 वर्षों में की गई है। रेलवे के प्रतिनिधियों से प्राप्त सूचनानुसार उक्त अवधि में निम्नलिखित महत्वपूर्ण नई रेल परियोजनाओं के लिए भूमि अर्जन/अधिग्रहण एवं भू-हस्तानांतरण की कार्रवाई हुई है :-

- (1) नेउरा दनियावा रेलवे लाईन
- (2) इस्लामपुर-नटसर रेलवे लाईन
- (3) राजगीर तिलैया रेलवे लाईन
- (4) सदिसोपुर-जटडुमरी रेलवे लाईन
- (5) अररिया-गलगलिया रेलवे लाईन
- (6) खगड़िया-अलौली रेलवे लाईन
- (7) हसनपुर-कुसेसर रेलवे लाईन
- (8) दरभंगा-कुशेश्वर स्थान रेलवे लाईन
- (9) हाजीपुर-सुगौली रेलवे लाईन
- (10) मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी रेलवे लाईन
- (11) महाराजगंज-मशरक रेलवे लाईन

8. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एक विभागीय Email ID अथवा WhatsApp Group विकसित की जाय, जिसका उपयोग सिर्फ रेलवे से संबंधित भूमि के विभागीय Govt. Land Mutation Portal पर दाखिल-खारिज करने के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्राचार/अभिलेख प्राप्ति, इत्यादि की कार्रवाई

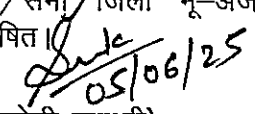
के लिए की जा सके। इस हेतु विभागीय आई0टी0 मैनेजर को निदेशित किये जाने का निर्णय लिया गया ताकि संबंधित पत्राचार किया जाना सुगम हो सके। (अनुपालन-आई0टी0 मैनेजर)।
सधन्यवाद बैठक का समापन किया जाता है।


(राक्षस कुमार)
निदेशक, चकबंदी,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक:-09/दा0खा0(रेल मंत्रा0)-XII-50/2025-.....1803-(9)/रा0, पटना-15, दिनांक- 06/06/25

प्रतिलिपि:- संयुक्त महाप्रबंधक/परियोजना, रेल भूमि विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरपुर, मो0-9771468564/मंडल रेल प्रबंधक, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर/मुख्य सामान्य इंजीनियर, पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर, रेल निकेतन, दिधीकलां, हाजीपुर, पिन-844101/सभी समाहर्ता, बिहार/सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बिहार/सभी अंचल अधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सोनी कुमारी),
विशेष कार्य पदाधिकारी

ई-मेल